

न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 203/2024

बनाम

प्रार्थीगण

जियण पुत्र हाजी जाति मुसलमान निवासी  
विरमीयार तहसील रामसर।

विप्रार्थी

1. तहसीलदार रामसर।


राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 138 राज0मू0राज0 अधिनियम  
आदेश

दिनांक 24.12.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा विरमीयार पटवार मण्डल कंटल का पार के खसरा संख्या 25 में प्रार्थी के पत्नि का माम सायरा पत्नि जियण के स्थान पर ऑनलाइन करते समय सारा पत्नि जियण गलत दर्ज किया गया। जिसे दुरस्त करने हेतु यह प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.2024 को दर्ज किया गया।


आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा विरमीयार पटवार मण्डल कंटल का पार के खसरा संख्या 25 में प्रार्थी के पत्नि का नाम सारा पत्नि जियण के स्थान पर सायरा पत्नि जियण दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

  
(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, रामसर  
दिनांक 24.12.2024

क्रमांक : रीडर/2024/ 3971-72  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी जियण पुत्र हाजी जाति मुसलमान निवासी विरमीयार तहसील रामसर।

  
उपखण्ड अधिकारी रामसर  
उपखण्ड अधिकारी  
रामसर